

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 7 (100)(71) परि/नियम/2011/III

28798

जयपुर, दिनांक : 15.07.2013

अधिसूचना


मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्या 59) की धारा 67 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उक्त उप-धारा के खण्ड (क) से (घ) की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक : एफ 7 (100) परि/नियम/2002/12816 दिनांक: 27.06.2008, समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्न संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की तालिका की विद्यमान क्रम संख्या 2 एवं उसकी पृष्ठियों को निम्न से प्रतिस्थापित किया जावेगा, अर्थात् :-

2. ऑटो रिक्शा	15.00	प्रथम एक कि.मी तक के लिए न्यूनतम	रोके रखने की संपूर्ण अवधि के लिए 50 पैसे प्रति मिनट	1. 10 कि.ग्रा. तक के पैकेज के लिए कोई प्रभार नहीं
	9.00	प्रत्येक पश्चात्पूर्ती कि.मी के लिए		2. 10 कि.ग्रा. से अधिक के पैकेज के लिए 5/- रु. प्रति पैकेज

राज्यपाल के आदेश से,


(पवन अरोड़ा)
उप शासन सचिव
शारन उप सचिव (मु.)
परिवहन विभाग
राजस्थान, जयपुर